तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24-12-20	**पत्रावली पेश हुई, अ[illegible]भाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थ[illegible]ष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 19-1-21 को पेश हो।**
19-1-21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए, जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अप्रार्थीगण को विधिवत मतबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवार हल्का बावलास पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपख[illegible] [illegible]कारी
मांडल [illegible] [illegible]वाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.02.02 11:21:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 165/20 प्रा०पत्र

1– श्री शंकर S/o श्री गिरधारी बलाई निवासी- बावलास तहसील- माण्डल

– प्रार्थी

बनाम

1– श्री सत्यनारायण S/o श्री रामलाल सोनी निवासी- बावलास तहसील- माण्डल [कोर्ट]
(प्रशासनिक प्राथमिकता)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 19-01-2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 3056/1054 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.09.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3056/1054 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा .... बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पक्की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु ... को 300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ... फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान ... यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर ... होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.02.02 11:21:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला भीलवाड़ा